

23/8/18

पत्रावली प्रस्तुत उभय पक्ष उपस्थित पूर्वदिशानुसार
पत्रावली दिनांक... 23/8/18... को पेश हो।



24/10/18

पत्रावली प्रस्तुत उभय पक्ष उपस्थित पूर्वदिशानुसार
पत्रावली दिनांक... 24/10/18... को पेश हो।

27/11/18

पत्रावली प्रस्तुत उभय पक्ष उपस्थित पूर्वदिशानुसार
पत्रावली दिनांक... 27/11/18... को पेश हो।
अतः
पत्रावली प्रस्तुत उभय पक्ष उपस्थित पूर्वदिशानुसार
पत्रावली दिनांक... 4/12/19... को पेश हो।

4.2.2019 पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उप०।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, वाह-पत्र
वादीगण द्वारा पेश कर ग्राम जगर के ख० नं० 4297
की खालेदारी मोतीलाल पि० मु० विरजा व भगवन्ती देवी
बालमुकुन्द हिस्सा जायि ब्राह्मण नि० जगर दर्ज रिकार्ड हैं।
उक्त दोनो खालेदार लाओलाद फौज होने पर कस्बेजिस्
वसीयत दि० 9.10.91 के आधार पर खालेदारी अपने नाम
दर्ज कलाना था है। वसीयत नामा की प्रति एवं
जमाबंदी नकल दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये हैं।
वसीयत नामा के सुना जाकर फैसल का नामान्तरकण
खोलना का क्षेत्राधिकार राज० लेण्ड रेक्ल्यू एक्ट के
तहत लेण्ड डायर लहरीलदार में निहित होता है।
लहरीलदार को वसीयत नामा के सुना जाकर फैस
ले का अधिकार प्राप्त है। अतः निर्णय की प्रति
लहरीलदार दि० 01/12/19 को भिजावाई जाकर त्रकण
के अपने स्वर पर निस्तारण किये जावे।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर हि

क्रमांक

फर्द अहकाम

शायद ही वहीगण सक्षम अधिकारी को तहसील
दिवसीय में मूल वसीयतनामा प्रति पेश कर-चारण
करे, अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

प्रकरण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए
तहसीलदार दिवसीय आगामी पाक्षीक अवधि में
समाप्त निस्तारण करें। निस्तारण की कार्यवाही
को इस न्यायालय को अवगत करावें।

पतावली फैसल सुमार की जाकर नम्बर
71 काग की जाकर वाद-लाकमील हासिल
दफतर की जावें।

गद्द निर्णय आज दिनांक 04/02/2019 को
एगुले न्यायालय में सुनाया गया।